

इस्लामिक सहयोग संगठन

प्रलिस के लयः

इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परषिद ।

मेन्स के लयः

भारत के हतऱों पर देशों की नीतयऱों और राजनीतिका प्रभाव, एक संगठन के रूप में ओआईसी के साथ भारत का संबंघ ।

चर्चा में क्यऱों?


हाल ही में [इस्लामिक सहयोग संगठन \(OIC\)](#) ने पैगंबर मुहम्मद पर दो भारतीयों द्वारा की गई टपिपणयऱों की आलोचना की ।

- वदिश मंत्रालय ने OIC की टपिपणयऱों को खारजि करते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा व्यक्त कयि गए वचिार भारत सरकार के वचिारों को नहीं दर्शाते हैं ।
- इससे पहले भारत ने कर्नाटक [हजिाब वविाद](#) के बीच [सांप्रदायिक सोच रखने के लयि OIC](#) की आलोचना की थी ।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC):

- परचियः**
 - यह संगठन दुनयिा भर में मुस्लिम जगत की सामूहकितता का प्रतनिधितिव करता है ।
 - इसका गठन सतंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतहासिक शखिर सम्मेलन के दौरान कयिा गया था, जसिका लक्ष्य वर्ष 1969 में एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियार्ई द्वारा येरुशलम में अल-अकसा मस्जिद में आगजनी की घटना के बाद इस्लामिक मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना था ।
- सदस्यः**
 - इसके सदस्य देशों की संख्या 57 है ।
- उद्देश्यः**
 - OIC सदस्य राज्यों के बीच [एकजुटता स्थापति करना](#) ।
 - कबजे वाले कसिी भी [सदस्य राज्य की पूर्ण संप्रभुता और कषेत्रीय अखंडता की बहाली का समर्थन](#) करना ।
 - इस्लाम का संरक्षण करना, इसकी रक्षा करना तथा इसकी नदिा का वरिोध करना ।
 - मुस्लिम समाजों में बढ़ते असंतोष को रोकना और यह सुनिश्चित करने के लयि काम करना कि सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परषिद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट रहें ।
- मुख्यालयः** जेद्दाह (सऊदी अरब) ।
 - संगठन ने वविादति शहर यरूशलेम के 'मुक्त' होने के बाद स्थायी रूप से अपने मुख्यालय को पूर्वी येरुशलम में स्थानांतरति करने की योजना बनाई है ।
 - इसके अलावा यह ['युद्ध अपराधों'](#) और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लयि इजरायल को ज़मिमेदार ठहराता है ।
- OIC चार्टरः**
 - संगठन एक चार्टर का पालन करता है जो इसके [उद्देश्यों, सदिधांतों और संचालन तंत्र को नरिधारति करता है](#) ।
 - इसे पहली बार 1972 में अपनाया गया, वकिसशील देशों की उभरती परस्थितयऱों के अनुरूप [चार्टर को कई बार संशोधति कयिा गया है](#) ।
 - वर्तमान चार्टर मार्च 2008 में सेनेगल के डकार में अपनाया गया था ।
 - इसमें नहिति है कि सभी सदस्यों को [संयुक्त राष्ट्र चार्टर](#) के उद्देश्यों और सदिधांतों के लयि खुद को प्रतबिद्ध करने के साथ-साथ [इस्लामी शकिसाओं और मूल्यों से नरिदेशति और प्रेरति कयिा जाए](#) ।

What is OIC?



OIC- Organization of the Islamic Cooperation

It was founded in **1969**

First OIC Charter Adopted in

1972



Key Bodies of OIC:

Number of Member Countries

57

Founding Members **30**

- ▶ Council of Foreign Ministers
- ▶ General Secretariat
- ▶ Islamic Summit
- ▶ Al-Quds Committee

//

OIC की कार्य-प्रणाली:

■ सदस्यता:

- मुसलमि बाहुल्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन में शामिल हो सकते हैं।
- OIC की वदेश मंत्रियों की परषिद में पूर्ण सहमति के साथ सदस्यता की पुष्टि की जाती है।
- पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के लिये भी समान प्रावधान लागू होते हैं।

■ नरिणय प्रक्रिया:

- संगठन में सभी नरिणय लेने के लिये दो-तर्हिाई सदस्य देशों की उपस्थिति और पूर्ण सहमति के साथ परभाषति गणपूर्ति की आवश्यकता होती है।
- यदि आम सहमति नहीं बन पाती है, तो नरिणय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तर्हिाई बहुमत द्वारा किया जाता है।
- वदेश मंत्रियों की परषिद मुख्य नरिणय लेने वाली संस्था है और OIC की सामान्य नीतियों को कैसे लागू किया जाए, इस पर नरिणय लेने के लिये वार्षिक बैठक होती है।
 - ये सामान्य हति के मामलों पर नरिणय और संकल्प लेते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, कार्यक्रमों व उनके बजट पर वचार करने के साथ ही उनका अनुमोदन करते हैं, सदस्य राज्यों की समस्या वाले वशिष्ट मुद्दों पर वचार करते हैं तथा एक नया अंग या समति स्थापति करने की सफिराशि करते हैं।

■ वक्ति:

- OIC को सदस्य देशों द्वारा उनकी राष्ट्रीय आय के अनुपात में वक्तिपोषति किया जाता है।
 - कसी सदस्य के मतदान के अधिकार तब नलिंबति कर दिये जाते हैं जब उनका बकाया पछिले दो वर्षों के लिये उनके द्वारा देय योगदान की राशि के बराबर या उससे अधिक हों।
 - सदस्य को वोट देने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वदेश मंत्रियों की परषिद संतुष्ट हो कि यह वफिलता सदस्यों के नरिंत्रण से परे स्थितियों के कारण है।

■ इस्लामिक शखिर सम्मेलन:

- यह राजाओं और देश के प्रमुखों द्वारा गठित है जिनके पास संगठन से संबंधति सर्वोच्च अधिकार हैं।
- प्रत्येक तीन वर्ष में यह संगठन वचार-वमिरश करता है, नीतगित नरिणय लेता है, संगठन से संबंधति मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है और सदस्य देशों से संबंधति महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर वचार करता है।

■ वदेश मंत्रियों की परषिद:

- वदेश मंत्रियों की परषिद मुख्य नरिणय लेने वाली संस्था है और OIC की सामान्य नीतियों को कैसे लागू किया जाए, इस पर नरिणय लेने के लिये वार्षिक बैठक करती है।

- वे सामान्य हति के मामलों पर नरिणय एवं संकल्प लेते हैं, उनकी प्रगत की समीक्षा करते हैं, कार्यक्रमों तथा उनके बजट पर वचिार व अनुमोदन करते हैं, सदस्य राज्यों को परेशान करने वाले वशिषिट मुद्दों पर वचिार करते हैं और कसिी नए अंग या समति की स्थापना की सफिारशि करते हैं।

■ स्थायी समतियिँ:

- OIC के पास सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों, आर्थिक एवं वाणज्यिक मामलों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पहल और येरुशलम के लयि सहयोग हेतु स्थायी समतियिँ भी हैं।

OIC की आलोचना:

■ मुसलमि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्राथमकता:

- OIC 'वडिो डरेसगि' के लयि एक आधार बन गया है, जो अपने सदस्य राज्यों के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बजाय फलिसितीन या मर्यामार जैसे देशों में मुसलमि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मामले में अधिकि रुचिरखता है।

■ मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने में अक्षम:

- मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने या हस्ताक्षरति संधियिँ और घोषणाओं के माध्यम से अपने नरिणयों को लागू करने के लयि नकिय के पास शकृता एवं संसाधनों की कमी है।

■ कुरान के मूल्यों के आसपास केंद्रति:

- संगठन उन्ही वविादों की मध्यस्थता तक सीमति है जहाँ दोनों पक्ष मुसलमि हैं।
- ऐसा इसलयि है क्योक सिंगठन कुरान के मूल्यों के इरद-गरिद केंद्रति है, जो इसे एक योग्य मध्यस्थ बनाता है।

■ सहकारी उद्यम स्थापति करने में वफिल:

- OIC अपने सदस्यों के बीच एक सहकारी उद्यम स्थापति करने में वफिल रहा है, जो या तो पूंजी-समृद्ध एवं शर्म की कमी वाले देश या शर्म-समृद्ध और पूंजी दुर्लभ वाले देश हैं।
- यह संगठन अंतरराष्ट्रीय राजनीतया आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण अभकिरृता के रूप में वकिसति नहीं हो सका है।

OIC के साथ भारत के संबंध:

- दुनया के दूसरे सबसे बड़े मुसलमि समुदाय वाले देश के रूप में भारत को वर्ष 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रति कया गया था, लेकिन पाकसितान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से भारत को बाहर कर दया गया।
- भारत कई कारणों से अब तक इस संगठन से दूर रहा:
 - भारत एक ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जो धर्म के आधार पर गठति हो।
 - साथ ही जोखमि था क सिदस्य देशों के साथ व्यकृतिगत तौर पर द्वपिक्रीय संबंधों में सुधार से वह एक समूह के दबाव में आ जाएगा।
- वर्ष 2018 में वदिश मंत्रियिँ के शखिर सम्मेलन के 45वें सत्र में मेज़बान बांग्लादेश ने सुझाव दया क भारत, जहाँ दुनया के 10% से अधिकि मुसलमान रहते हैं, को पर्यवेकषक का दर्जा दया जाना चाहयि, लेकिन पाकसितान द्वारा प्रस्ताव का वरिध कया गया।
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शकृताशाली सदस्यों के साथ घनषिठ संबंध बनाने के बाद भारत समूह के कसिी भी बयान पर भरोसा करने के लयि आश्वस्त है।
 - भारत ने लगातार इस बात को रेखांकति कया है क जिममू-कश्मीर "भारत का अभनिन अंग है और यह भारत का आंतरकि मामला है" तथा इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है।
- वर्ष 2019 में भारत ने OIC के वदिश मंत्रियिँ की बैठक में "गेस्ट ऑफ ऑनर" के रूप में अपनी पहली उपस्थतिदिरज की।
 - इस पहले नमिंतरण को भारत के लयि एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, वशिष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकसितान के साथ तनाव बढ़ गया था।

यूपीएससी सविलि सेवा प्रारंभक परीक्षा प्रश्न:

प्र. संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2022)

1. UN महासभा, गैर-सदस्य राज्यों को परेकषक स्थतिप्रदान कर सकती है।
2. अंतःसरकारी संगठन UN महासभा में परेकषक स्थतिपाने का प्रयत्न कर सकते हैं।
3. UN महासभा में स्थायी परेकषक UN मुख्यालय में मशिण बनाए रख सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य राज्य, जो एक या अधिक विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं, स्थायी पर्यवेक्षक के दर्जे के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर-सदस्य राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है। **अतः कथन 1 और 2 सही हैं।**
- एक स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा विशुद्ध रूप से अभ्यास पर आधारित होता है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई, जब महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में स्विस सरकार के पद को स्वीकार किया।
- धीरे-धीरे कुछ राज्यों द्वारा पर्यवेक्षकों को आगे रखा गया जो बाद में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए इनमें ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इटली और जापान शामिल थे। 10 सितंबर, 2002 को स्वटिज़रलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।
- स्थायी पर्यवेक्षकों के पास अधिकांश बैठकों और प्रासंगिक दस्तावेजों तक नशुलक पहुँच होती है।
- कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी महासभा के कार्य और वार्षिक सत्रों में पर्यवेक्षक रहे हैं।
- स्थायी पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के सत्रों और कार्यों में भाग ले सकते हैं तथा मशिनों को जारी रख सकते हैं। **अतः कथन 3 सही है।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/organisation-of-islamic-cooperation-1>

